रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 1987/आश्विन 23, 1909
No. 215] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1987/ASVINA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be fried as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1987

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 29-ई.टी सी. (पी.एन)/87

विषय :— 1-1-1988 से 31-12-1990 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, कनाडा, आस्ट्रिया स्वीडन, फिनलैंड, नार्वे को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत सूत के कुछ कपड़ों/और या ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार मदों के निर्यात के लिए योजना ।

फा. सं. 2195/87-ई-I :—यह योजना 1-1-88 से 31-12-90 तक की अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, बेनिलक्स, यू. के., आयरलैंड, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल), आस्ट्रिया, कनाडा, स्वीडन फिनलैंड और नार्वे की सूत ऊन और मनुष्य निर्मित धागों के कुछ कपड़ों/और/या तैयार मदों के निर्यात से संबंधित है ।

2. योजना के प्रशासन के लिए अधिकरण

2(1) जब तक अन्यथा रूप से निर्देश न दिए जाएं सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोमिल) सभी वस्त्रों और तैयार वस्तुओं के लिए निर्यात हकदारी का आबंटन कर करेगी किन्तु ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुओं को छोड़कर जिनकी निर्यात हकदारी का आबंटन ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी) द्वारा किया जाएगा । लेकिन सभी वस्त्र और तैयार वस्तुएं जिनमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुएं भी शामिल हैं के लिए आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा । योजना के अंतर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूची सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध है । सरकार को यह अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे इस योजना के प्रशासन के लिए अधिकरणों के संबंध में परिवर्तन कर सकती है ।

2. (2) निर्यात हकदारी का आबंटन केवल सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत निर्यातकों को ही किया जाएगा ।

3. मात्रा आबंटन की प्रक्रिया और आबंटन वर्ष का विभाजन

निर्यात के लिए मात्रा के आवंटन की तीन पद्धतियां होंगी :—

(1) वार्षिक स्तर के 40 प्रतिशत का आबंटन भूतकालीन निष्पादन के आधार पर किया जाएगा और 40 प्रतिशत का पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण के आधार पर और 20 प्रतिशत पहले आए सो पहले पाए (तैयार वस्त्र) की पद्धति पर।

(2) भूतकालीन निष्पादन पद्धति के मामले में 1 जनवरी से 30 सितम्बर, तक की एक एकल आबंटन अवधि होगी। पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण पद्धति और पहले आए सो पहले पाए तैयार वस्त्र पद्धति के मामले में वर्ष का विभाजन दो छमाही अवधियों अर्थात् 1 जनवरी, से 30 जून और 1 जुलाई से 31, दिसम्बर में किया जाएगा।

(3) पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण पद्धति और पहले आए सो पहले पाए या तैयार माल पद्धति के अधीन उपलब्ध मात्रा का 60 प्रतिशत प्रथम अवधि जनवरी/जून के दौरान लदान के लिए आबंटित किया जाएगा और 40 प्रतिशत की दूसरी अवधि जुलाई/दिसम्बर के दौरान लदान के लिए आबंटित किया जाएगा लेकिन उपर्युक्त अवधियों/पद्धतियों वार अनुपातों की मांग की प्रवृत्ति और अन्य पैरामीटर्स के आधार पर सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

4. खण्ड के लिए आरक्षण

जहां पर सूती, ऊनी और मनुष्य-निर्मित धागे को निर्यात हकदारी मिश्रित की जाती है, ऊनी और संश्लिष्ट मामलों के लिए आरक्षण विशेष मात्राओं की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त द्वारा वास्तविक मात्राओं का निश्चय गत भूत के पैटर्न और चालू वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः परिषदों से पर्याप्त जरूरतें प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

5. भूतकालीन निष्पादन पद्धति

5(1) हकदारियों का निश्चय करने के लिए एजेन्सी :—प्रत्येक निर्यातक के संबंध में भूतकालीन निष्पादन योजना के आधीन हकदारी की गणना करने के लिए एजेन्सी सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (टैक्स प्रोसिल) होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रिया विधियां निर्धारित करेंगे और टैक्सप्रोसिल के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

5(2) निर्धारित अवधि और उच्चतम सीमा :—1988 के लिए भूतकालीन निष्पादन हकदारी का निर्धारण प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के लिए 1985 और 1986 के आधार वर्ष के दौरान निर्यातों के औसत आधार पर यथा अनुपात किया जाएगा। 1989 और 1990 के उत्तरोत्तर वर्षों के लिए, आधार अवधि क्रमशः 1986-87 और 1987-88 होगी। भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपात आबंटन निर्यातों के उस मूल्य के औसत वार्षिक निष्पादन के बराबर अधिकतम सीलिंग की शर्त के अधीन होगी जो संगत देश/श्रेणी की आधार अवधि के दौरान सभी निर्यातों और औसत वार्षिक मूल्य वसूली से भाग किया जाएगा। किसी भी एकल निर्यातक की हकदारी में कोई भी परिवर्तन होने के मामले में यथानुपात मात्रा के सारे अभ्यास को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है परन्तु निर्यातक की हकदारी में उपयुक्त समंजन किया जाएगा।

5(3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी का अभ्यार्पण और वृद्धि के प्रावधान :—(क) भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता प्राप्त करने वाले निर्यातकों को निष्पादन बान्ड भरे बिना ही 31 मार्च तक अपनी हकदारी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(ख) निर्यातकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे 31 मार्च तक अप्रयुक्त हकदारियों को अभ्यर्पित कर दें या उन्हें ऐसी मात्रा रखने की अनुमति दी जाएगी जो वे 31 मार्च, से पहले या इस तिथि को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए 7.50 रुपए प्रति कि.ग्रा. स्वीडन और नार्वे के लिए 1.50 रुपए प्रति वर्ग गज या आबंटन की यूनिट के अनुसार 1.80 रुपया प्रति दर्जन यू.एस. ए के लिए वर्सटिड वस्त्र के लिए 1.50 रु. प्रति वर्ग मीटर कनाडा के लिए बैंक गारन्टी या नकद निक्षेप द्वारा समर्थित निष्पादन बान्ड देकर रखने की इच्छा करें।

(ग) निर्यातकों को ऐसी मात्रा और भी रखने का विकल्प दिया जाएगा जो मात्रा वे 30 सितम्बर तक पोतलदान के लिए रखने की इच्छा करें बशर्ते कि उसने बांड में उपयुक्त संशोधन करने के लिए 30 जून तक भूतकालीन निष्पादन हकदारी 40 प्रतिशत या इस से अधिक का उपयोग कर लिया है।

(घ) यदि उपयोग 30 सितम्बर, से पहले हकदारी के 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो निर्यातक को बांड में उपयुक्त संशोधन करके 31 दिसम्बर, तक पोतलदान करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आखिरी विकल्प दिया जाएगा। बशर्ते कि इस अनुमति के लिए आवेदन पुष्टि आदेश और अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा समर्थित हो।

(ङ) अनुमति के लिए आवेदन 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएँगे।

5(4) हस्तान्तरण (क) 30 सितम्बर तक किसी भी समय किसी भी निर्यातक को अपनी हकदारी में किसी भी हिस्से का हस्तान्तरण करने का एक निर्यातक को विकल्प होगा।

(ख) हस्तान्तरित मात्रा उस हस्तान्तरी के निर्यात के रूप में मानी जाएगी जो वास्तव में माल का लदान करता है।

(ग) हस्तान्तरी के पास की हकदारी उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी जो हस्तान्तरक के पास हकदारी के लिए लागू हैं।

(घ) एक निर्यातक जो पूर्ण रूप, या आंशिक रूप से किसी विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त करता है तो वह उसी देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी को हस्तान्तरित करने का हकदार नहीं होगा।

(ङ) विशेष/देश/श्रेणी के भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण उस निर्यातक के लिए अनुमेय नहीं होगा जिसके पास उसी देश/श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" (संविदा आरक्षण)/पहले आए सो पहले पाए (तैयार माल) का कोटा हो।

6. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर संविदा आरक्षण पद्धति

6(i) पहले आए सो पहले पाए (संविदा आरक्षण) आधार पर आबंटन के लिए निर्यातक को आवेदन पत्र के साथ यदि आबंटन कि. ग्रा. में है तो यू एस ए के लिए 1.80 रुपया प्रति दर्जन और यदि यूनिट का आबंटन के लिए है तो वस्त्रों के लिए 1.50 प्रति वर्ग गज और कनाडा के लिए ऊनी वर्सटिड वस्त्रों के लिए 1.50 प्रति वर्ग मीटर पर 7.50 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर परिकलित किया जाएगा।

6(ii) निर्यातक अगले आबंटन अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते की निष्पादन बांड में उपयुक्त संशोधन करके उसने 30 जून तक अपनी हकदारी का 75 प्रतिशत तक हिस्सा उपयोग कर लिया है। अनुमति के लिए आवेदन 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएँगे।

6(iii) यदि किसी निश्चित दिन किसी देश/श्रेणी में वितरण के लिए आवेदित कुल मात्रा उपलब्ध मात्रा से अधिक है तो आबंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जाएगा।

7. पहले आए सो पहले पाए (तैयार माल) पद्धति

7(i) पहले आए सो पहले पाए (तैयार माल) के आधार पर मात्रा का आबंटन केवल उस माल के मुद्दे किया जाएगा जो वास्तविक रूप में पोतलदान के लिए तैयार है। निर्यातक के आवेदन पत्र के साथ पोतलदान बिल, वस्त्र समिति निरीक्षण प्रमाण पत्र, आर 4 या ए आर 5/ए आर-3 प्रपत्र और आबंटन की यूनिट के अनुसार 2.50 रुपये प्रति कि. ग्रा., 50 पैसे प्रति वर्ग गज और 60 पैसे प्रति दर्जन की दर पर परिकलित पेशगी धन निक्षेप के लिए चैक भेजा जाएगा, जिसे यदि वास्तविक पोतलदान का प्रमाण निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जब्त कर लिया जाएगा।

7(ii) यदि किसी विशेष दिन आवेदित कुल मात्रा किसी देश/श्रेणी में वितरण के लिए उपलब्ध मात्रा से कम है तो आवंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जाएगा।

8. न्यूनतम निर्यात मूल्य

आबंटन की सभी तीनों पद्धतियों के अधीन अर्थात् भूतकालीन निष्पादन पहले आए सो पहले पाए (संविदा आरक्षण) और पहले आए सो पहले पाए (तैयार माल) के लिए यदि आवश्यक होगा तो वस्त्र आयुक्त द्वारा न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारित की जाएगी और उससे कम कीमत पर पोतलदान अनुमति नहीं किया जाएगा।

9. प्रमाणीकरण: पोतलदान

आबंटन की सभी तीनों पद्धतियों के अन्तर्गत टैक्सप्रोसिल द्वारा प्रमाणीकरण किसी भी मामले में प्रमाणीकरण की तारीख से 21 पूरे दिनों की अवधि के लिए पोतलदान के लिए इस शर्त के अधीन होगा कि कोई भी प्रमाण पत्र 31 दिसम्बर के बाद वैध नहीं होगा।

10. धीमी रफ्तार की मदें

वस्त्र आयुक्त भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान पद्धति के आधार पर धीमी रफ्तार वाली मदों का अभिज्ञान करेगा और उनकी सूची की घोषणा करेगा। ऐसी मदों के सम्बन्ध में निष्पादन बांड के मुद्दे संवीक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों से छूट होगी। तथापि आवेदकों को टैक्सप्रोसिल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निष्पादन बांड प्रस्तुत करना पड़ेगा।

11. पेशगी धनराशि का निक्षेप बैंक गारन्टी और उनकी जब्ती

11(i) जो निर्यातक भूतकालीन निष्पादन और पहले आएगो पहले पाए (संविदा आरक्षण) अथवा पहले आए सो पहले पाए (तैयार माल) पद्धति के अन्तर्गत आबंटित विशेष निर्यात हकदारी अवधि में 90 प्रतिशत तक निष्पादन करता है तो उसकी पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त नहीं की जाएगी। जो निर्यातक 75 प्रतिशत तक किन्तु 90 प्रतिशत से कम निर्यात करता है उसे 2.50 रुपये प्रति कि.ग्रा. 50 पैसे प्रति वर्ग गज या 60 पैसे प्रति दर्जन की दर पर जैसा भी मामला हो वास्तविक कमी पर जुर्माना देना होगा। यदि निर्यात हकदारी का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक पूरे पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त कराने के लिए देनदार होगा। जब भी ऐसा होगा यह अनिवार्य बाधता के अधीन लागू होंगी।

11(ii) इस नीति के अनुसार ऐसे निर्यातक जिनको निर्यात हकदारी आबंटित की गई है परन्तु वे उसका उपयोग नहीं करते तो वे इस बारे में की जाने वाली कारवाई के अतिरिक्त आगामी आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।

12. पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त करने के खिलाफ अपील

आबंटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक का गारन्टी के जब्त करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए पैनल निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी वसूल किए जाने पर संबद्ध निर्यातक ऐसे जब्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त बम्बई को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र निर्णय देंगे। यदि निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र मंत्रालय को की जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गयी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

13. निर्यात हकदारी आबंटन का पर्यवेक्षण

वस्त्र आयुक्त बम्बई निर्यात हकदारी के आबंटन से सम्बन्धित मामलों पर दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण के अधिकार को जारी रखेगा। एक समन्वय समिति जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे और संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे वे समय-समय पर नीति के प्रचालन की पुनरीक्षा करेगी। विचारों में भिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

14. सीमा-शुल्क द्वारा निकासी

14(1) नियंत्रण के अधीन उत्पाद—पोतलदान की अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए पोत-परिवहन बिलों की मूल और दूसरी प्रति पर प्रमाणीकरण का सत्यापन करने के बाद दी जाएगी।

14(2) हथकरघा उत्पाद जहां तक नियंत्रित मदों के संघत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं के निर्यात का संबंध है वहां सीमाशुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कंबीनेशन प्रपत्र के भाग-2 में निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

14. (3) भारतीय मदों के अन्तर्गत आने वाली तैयार वस्तुएं-

उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित उत्पाद है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों एस.ए., फिनलैंड आस्ट्रिया स्वीडन और कनाडा को निर्यात के लिए प. दाम सीमाशुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय या वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुमति किया जाएगा।

15 निर्यात प्रमाणपत्र उद्गम प्रमाणपत्र और वीसा

गमन द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण-पत्र सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य परिषद द्वारा जारी किए जाएँगे।

(1) यू.एस.ए.—वाणिज्यिक मूल्य की सीमा सभी मिल नियमों/पावरलूम पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के परेषणों के लिए वीसा।

(2) ई. ई. सी.—(क) बुने हुए पावरलूम और मिल निर्मित मूल की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन हैं के लिए निर्यात प्रमाणपत्रों और उद्गम प्रमाणपत्र।

(ख) बुने हुए-पावरलूम/मिल निर्मित मूल की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन नहीं है के लिए उद्गम प्रमाणपत्र।

(3) कनाडा—बुने हुए पावरलूम और मिल-निर्मित मूल की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन हैं केवल 500 या इससे कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिए निर्यात-प्रमाणपत्र।

(4) आस्ट्रिया :

नियंत्रण या निगरानी की शर्तों के अधीन सूती पावरलूम/मिल निर्मित पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र ।

(5) स्वीडन :

सभी मिल निर्मित/पावरलूम/सम्मानित से निर्मित/कोसिया से निर्मित मात्रिक प्रतिबन्ध के अधीन निर्यात प्रमाण-पत्र ।

(6) नार्वे :

श्रेणी-7 के अन्तर्गत पावरलूम एवं मिल निर्मित सूत की बैडलिननों के सम्बन्ध में निर्यात/मूल्यन:/ के प्रमाण-पत्र ।

16. हथकरघा छूट प्रमाणपत्र :

निर्यात मदों से संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं के कनाडा को निर्यात सूती वस्त्र हथकरघा तैयार/वस्त्रों का आस्ट्रिया को निर्यात सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं का आस्ट्रिया को निर्यात सभी हथकरघा वस्त्र और तैयार वस्तुओं का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राज्यों तथा यू. एस. ए. को निर्यात, स्वीडन को हथकरघा की तैयार वस्तुओं और नार्वे के लिए हथकरघा की बैडलिनन के मामले में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौते में यथा-निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

17. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपलब्धि का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है ।

18. संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालयों के पते निम्नलिखित अनुसार हैं :—

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
   न्यू सी. जी. ओ. बिल्डिंग,
   न्यू मेरीन लाइन्स
   पोस्ट बाक्स नं. 11500
   बम्बई-400020.
2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्
   इंजीनियरिंग सेन्टर
   5वीं मंजिल
   9-मैथ्यू रोड बम्बई-400004.
3. सिल्क और रेयान टेक्सटाइल्स निर्यात
   संवर्धन परिषद् रेशम भवन
   वीर नारीमन रोड
   बम्बई-400020.
4. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्
   612/714 अशोक इस्टेट 24 बाराखम्बा रोड
   नई दिल्ली-110001.
5. कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद्
   दुकान नं. बी-115 सेक्टर-18
   पोस्ट आफिस नोएडा जिला गाजियाबाद ।
6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
   वेस्ट ब्लाक 7 आर. के. पुरम
   नई दिल्ली 110022.
7. वस्त्र समिति
   "क्रिस्टल" 79-डा. एनीबेसन्ट रोड
   वर्ली बम्बई-400018.

(राजीव मोहन मिश्र)
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

एस. सी. आजाद,
नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते : मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th October, 1987

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 29 ETC(PN)|87

Subject : Scheme of exports under OGL-3 of certain fabrics and|or madeup items made from cotton, wool and man-made fibres, to USA, European Economic Community Member States, Canada, Austria, Sweden, Finland and Norway from 1-1-1988 to 31st December 1990.

F. No. 2|95|87-E.I.—This scheme relates to the exports of certain fabrics and|or made-up items of cotton, wool and man-made fibres to USA, European Economic Community Member-States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, U.K., Ireland, Denmark, Greece, Spain and Portugal), Austria, Canada, Sweden, Finland and Norway for the period 1-1-1986 to 31-12-1990.

2. Agencies for the Administration of the Scheme.

2(i) Unless otherwise directed, the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) will allocate export entitlements for all fabrics and made-ups except woollen fabrics and made-ups for which export entitlement allocation will be done by the Wool & Woollen Export Promotion Council (W&WEPC). However, necessary certification for all fabrics and made-ups including the woollen fabrics and made-ups will be done by TEXPROCIL. Lists of categories of the textile products covered under the scheme are available with TEXPROCIL and W&WEPC. Government reserves the right to make changes as considered appropriate with regard to the agencies for administration of scheme.

2(ii) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities.

3. Systems and quantum of allotment and divisions of the allotment year.

There will be three systems of allocaton of quantity for exports :

3(i) 40 per cent of the annual level will be allocated on the basis of Past Performance system 40per cent on the basis of First-Come-First-Served (FCFS) (contract Reservation System) and 20 per cent FCFS (Ready goods) System.

3(ii) In the case of Past Performance System, there will be single period of allocation from 1st January to 30th September, for FCFS(Contract Reservation) System and FCFS (Ready goods) System, the year will be divided into two six monthly periods i.e. 1st January to 30th June and 1st July to 31st December.

3(iii) 60 per cent of the quantity available under the Systems of FCFS (Contract Reservation) and FCFS (Ready goods) will be allocated for shipment during the first period January|June, and the remaining 40 per cent for shipment during the second period, July|December. The above periods and|or system-

wise ratios may, however, be modified by the Government depending upon the demand patterns and other parameters.

4. Reservation for segments.

Wherever export entitlements for cotton, woollen and man-made fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic items will be done in terms of specific quantities. The actual quantities will be determined by the Textile Commissioner after ascertaining the firm requirements from the respective Export Promotion Councils keeping in view the past pattern and prevailing trends.

5. Past Performance System.

5(i) Agency for determining entitlements :

The Agency for calculation of the entitlement under the Past Performance system in respect of each exporter will be TEXPROCIL. The Textile Commissioner will lay down proceedures, in this regard and superwise the work of TEXPROCIL.

5(ii) Base Period and Ceiling :

The past performance Entitlement for 1988 will be determined for each country|category combination pro-rata on basis of average value of exports during the base period of 1985 and 1986. For subsequent years 1989 and 1990, the base periods would be, 1986-87 and 1987-88 respectively. The pro-rata allotment of Past Performance Entitlement will be subject to a maximum ceiling equal to the average annual performance of the exporter in value divided by the average unit value realisation of all the exporters during the base period in the relevant country|category. In case of any subsequent changes in the entitlement of any individual exporter, the entire exercise of pro-rata quantity need not be reopened but suitable adjustments will be made in the entitlement of the exporter.

5(iii) Provision for surrender and extension of Past Performance Entitlement.

(a) Exporters qualifying for past performance entitlement will be allowed to utilise their entitlement without executing performance bond upto 31st March of the relevant year.

(b) The exporter will be given an option to surrender the unutilised entitlement by 31st March or retain such quantity as desired for shipment upto 30th June by giving performance bond backed by Bank Guarantee or Cash Deposit on or before 31st March at the rate of Rs. 7.50 per Kg., for EEC, Sweden and Norway Rs. 1.50 per sq. yd. or Rs. 1.80 per dozen as per the unit of the allotment for USA and Rs. 1.50 per sq. meter for worsted fabrics to Canada.

(c) The exporter will be given further option to seek extension for shipment upto 30th September provided he has utilised 40 per cent or more of the past performance entitlement by 30th June by making suitable amendment to the bond.

(d) Where the utilisation by 30th September is not less than 75 per cent of the entitlement, the exporter will be given the final option to seek extension for shipment upto 31st December by making suitable amendment to the bond provided the request for extension is supported by a confirmed order and irrevocable L|C.

(e) Application for extension should be filed within 15 days.

5(iv) Transferability.

Past performance entitlement shall be transferable subject to the following conditions.

(a) An exporter will have the option to transfer any portion of his entitlement to any other registered exporter upto 30th September.

(b) The quantity transferred shall be counted as exports of the transferee, who actually ships the goods.

(c) The entitlement in the hands of the transferee shall be subject to the same terms and conditions as applicable to the transferor.

(d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country|category either in full or in part, will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country|category.

(e) Transfer of Past Performance entitlement in a particular country|category shall not be allowed to the exporters who hold FCFS (Contract Reservation)| FCFS (Ready goods) quota in the same category|country.

6. FCFS (Contract Reservation) System

6(i) For allotment on FCFS (Contract Reservation) basis, the exporter will have to submit alongwith the application, performance bond backed by Bank Guarantee or by Cash Deposit calculated at the rate of Rs. 7.50 per kg. where allotment is in kgs. Rs. 1.80 per dozen where unit of allotment is in pieces Rs. 1.50 per sq. yard for fabrics to USA and Rs. 1.50 per sq. meter for woollen worsted fabrics to Canada.

6(ii) The exporter may seek extension for the second allotment period, provided he has utilised not less than 75 per cent of his entitlement by 30th June by making suitable amendment to the performance bond. Application for extension should be filed within 15 days.

6(iii) If on any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country|category the allotment will be made on high price basis.

7. FCFS (Ready goods) System.

7(i) Allocation of quantity on the basis of FCFS (Readygoods) will made only against the goods which are physically ready for shipment. The exporter will have to submit alongwith the application, shipping documents, the Textiles Committees Inspection Certificate, AR4 or AR5|AR3 forms and a cheque towards earnest money deposit calculated at the rate of Rs. 2.50 per Kg., 50 paise per sq. yard and 60 paise per dozen as per the unit of allotment, which shall be forfeited if proof of actual shipment is not produced within the prescribed time limit.

7(ii) If on any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country|category, the allotment will be made on high price basis.

8. Minimum Export Price.

Under all the three systems of allocation i.e. Past Performance, FCFS (Contract Reservation) and FCFS (Ready goods), there will be minimum export prices to be fixed by the Textile Commissioner, wherever necessary, below which shipments will not be permitted.

9. Certification|Shipment.

Certification by TEXPROCIL under all the three Systems of allotment will be valid for shipment for a period of 21 clear days from the date of certification subject to the condition that no cerification shall be valid beyond 31st December in any case.

10. Slow Moving Items.

The Textile Commissioner will identify and announce a list of slow moving items on the basis of past exports and prevailing trends. In respect of such items the provision regarding security against proforma bond would be dispensed with. However, the applicants will have to submit the performance bond in the proforma prescribed by TEXPROCIL.

11. Earnest money deposit|bank guarantee and forfeiture thereof.

11(i) An exporter, who performs not less than 95 per cent of the export entitlements allotted to him under Past Performance & FCFS (Contract Reservation and FCFS (Ready goods), systems in a particular export gititlement period will not be liable to forfeiture of EMD|AG. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 95 per cent will have to pay compensation at the rate of Rs. 2.50 per kg., 50 paise per sq. yard or 60 paise per doz. as the case may be on the case may be on the actual shortfall. If the export entitlement utilisation is less than 75 per cent the exporter will be liable to forfeiture of his EMD| BG in full. This will be subject to force majeure condition wherever these arise.

11(ii) Exporters to whom export entitlements are allotted in terms of this policy but who do not utilise them would render themselves liable to disqualification from future allotment without prejudice to any other action that may be taken in his behalf.

12. Appeal against forfeiture of EMDs|Bank Guarantees.

For the purpose of giving consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMD's| Bank Guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD's Bank Guarantees by TEXPROCIL, the exporters concerned may appeal against such forfeiture of the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of the receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will lie with Ministry of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

13. Supervision of allocation of export entitlement.

The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlement. A coordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members, will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

14. Clearance by Customs.

14(i) Products under restraint ;

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the TEXPROCIL or any other appropriate agency designated for this purpose.

14(ii) Handloom Products.

In so far as export of all handloom fabric|made-ups corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in Part-2 of the combination form.

14(iii) Made-ups falling under "India Items"

In respect of 'India items' which are traditional Folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to USA, EEC, Canada, Austria Sweden, Finland and Norway on the basis of appropriate certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

15. Export Certificate, Certificate of Origin and Visa.

The following certification, required under the relevant Bilateral Textile Agreement will be issued by TEXPROCIL or any other body duly authorised in this behalf.

(i) USA.

Visa for all millmade|powerloom fabrics and made-ups consignments of commercial value.

(ii) E.E.C.

(a) Export Certifiate and Certificate of Origin for all restrained items of powerloom| millmade|origion.

(b) Certificate of origin for non-restrained items of powerloom|millmade|knitted origin.

(iii) CANADA :

Export Certificates for worsted fabrics of millmade|powerloom|knitted origin which are subject to restraint, except for consignments valued at less than Canadian $ 500|-.

(iv) AUSTRIA :

Export Certificates for fabrics|made-ups of powerloom|millmade origin subject to surveillance.

(v) SWEDEN :

Export Certificate for all made-ups of millmade|powerloom|knitted|croached origin uder quantitaive restraint.

(vi) NORWAY :

Export Certificate|Certificate of Origin in respect of bedlinen of powerloom and millmade origin under Category 7.

16. Handloom exempt certificate

In the case of export of all handloom fabrics|made-ups corresponding to restrained items to Canada, cotton handloom textile fabrics|made-ups to Austria, all handloom fabrics and made-ups to EEC and USA, handloom made-ups to Sweden and handloom bedlinen to Norway, the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

17. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

18. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the Office of the Textile Commissioner, Textiles Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. Office of the Textile Commissioner,
New C.G.O. Building, New Marine Lines,
Post Box No. 11500,
BOMBAY-400020.

2. The Cotton Textiles Export Promotion Council,
Engineering Centre,
5th Floor, 9, Mathew Road,
BOMBAY-400004.

3. Silk & Rayon Textile Export Promotion Council,
Resham Bhavan,
Veer Nariman Road,
BOMBAY-400020.

4. The Wool & Woollen Export Promotion Council,
612|714. Ashoka Estate,
24, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

5. Carpet Export Promotion Council,
Shop No. B-115, Sector-XVIII,
Post Office Noida,
Distt. Gaziabad.

6. Development Commissioner (Handicrafts),
West Block No. 7, R. K. Puram,
New Delhi-110066.

7. Textiles Committee,
"Crystal"
79, Dr. Annie Besant Road,
Worli,
BOMBAY-400018.

Sd|-

(R. L. MISRA)

for Chief Controller of Imp. & Exp.

H. C. AZAD, Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987